"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/825.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 70 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में दिनांक 7 अप्रैल, 2011 के भूतलक्षी प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में शब्द "अथवा दोनों द्वारा" के स्थान पर, शब्द "अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/अनुदेश के अनुसार" प्रतिस्थापित किये जायें.

2. नियम 6 के उपनियम (7) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"परंतु, राज्य सरकार, आदेश/अनुदेश जारी करते हुए निर्देश दे सकेगी कि किसी भी समय प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पर विचार किये बिना, चयन एकमात्र योग्यता (मेरिट) के आधार पर ही होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2011/826.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/825, दिनांक 19-08-2011 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th August 2011

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2011/825.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with clause (b) of sub-section (1) of Section 53 and sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007 with retrospective effect from 7th April, 2011 the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 6, for the words "or by both" the words "or as per order/instruction issued by the State Government from time to time" shall be substituted.

2. After clause (d) of sub-rule (7) of Rule 6, the following proviso shall be inserted, namely :—
"Provided that, the State Government may by issuing order/instruction, direct that the selection shall be made solely on the basis of merit irrespective of the number of application received at any itme."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.